न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 18 / 2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
जोईताराम पुत्र श्री दलाराम,जाति चौधरी,निवासी आवलॉज, तहसील व जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार जालोर दिनांक 28.3.2017(प्रकरण सं. 745 / 2017)

उपस्थिति :–
1.श्री सिकन्दरअली,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20.3.2018

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा आवलॉज के वर्तमान खसरा नम्बर 600 में से 0.06हेक्टर भूमि पर अपीलांट द्वारा कब्जा कर पक्का बाथरूम बनाने से पटवारी हल्का आवलॉज ने तहसीलदार जालोर को दिनांक 19.1.2017 को रिपोर्ट पेश की जिस पर अदालत मातहत् ने अपीलांट को बेदखल करने व 53 / –रूपये जुर्माना करने के आदेश दिये है। मौजा आवलॉज में वर्तमान खसरा नम्बर 690 से लगती पुराने खसरा नम्बर 222 पर अपीलांट के पिता का रहवास मानते हुए पुराना मकान होने से तहसीलदार जालोर ने अपीलांट के पिता दलीया के नाम से 700 वर्गगज भूमि का नियमन दिनांक 28.4.1975 को किया था । उसी भूमि पर अपीलांट का मकान बना हुआ है तथा बाथरूम भी इसी भूमि पर सन् 1975से बना हुआ है फिर भी अदालत मातहत् ने बिना विस्तृत जांच किये तथा पटवारी के बयान लिये बगैर मात्र पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने व जुर्माना के आदेश दिये है। अपीलांट का वर्तमान खसरा नम्बर 690 में से 0.06 हेक्टर भूमि पर किसी तरह का कब्जा व बाथरूम बना हुआ नही है, यह तथ्य सेटलमेन्ट विभाग के नेकम से नाप शुरू करके खसरा नम्बर 690 का नाप करने से स्पष्ट हो सकता है। अपीलांट को गवाह पेश करने हेतु माकुल समय नही दिया गया है तथा अपीलांट के उपस्थित होने के बावजूद अपीलांट से जवाब व गवाह तथा

अपीलांट के बयान नही लिये गये है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत् के निर्णय की नकल दिनांक 18.4.2017 को ली गई तब निर्णय के तथ्यों का ज्ञान होने से अपील पेश की जा रही है फिर भी अलग से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश किया है। अतः अपीलांट की अपील मूंजूर कर अदालत मातहत् का आदेश निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील में धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र, तथा फहरिस्त के साथ निर्णय आदि की प्रमाणित प्रति पेश की है। इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलांट को मौजा आवलॉज के खसरा नम्बर 690 रकबा 0.94 हेक्टर में से 0.06 हेक्टर भूमि पर संवत् 2073 में अतिक्रमण मानकर बेदखली व 53/–रूपये जुर्माना का आदेश पारित किया है जबकि वर्तमान खसरा नम्बर 690 से लगती पुराने खसरा नम्बर 222 पर अपीलांट के पिता दलीया के नाम से 700 वर्गगज भूमि का नियमन दिनांक 28.4.1975 को किया था, उसी भूमि पर अपीलांट का मकान बना हुआ था तथा बाथरूम भी उसी भूमि में सन् 1975 से बना हुआ है। अपीलांट को गवाह पेश करने का माकुल समय नही दिया गया है। अतः अपीलांट की अपील की अपील स्वीकार कर तहसीलदार जालोर को आदेश दिनांक 23.10.2017 निरस्त करावे। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी अभिभाषक ने बहस में बताया कि यह अपील मयाद बाहर पेश की है तथा अपीलांट का मौजा आवलॉज के खसरा नम्बर 690 रकबा 0.94 हेक्टर में से 0.06 हेक्टर भूमि पर कब्जा व पक्का बाथरूम कर अतिक्रमण करने से तहसीलदार जालोर द्वारा बाद सुनवाई के बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है ,उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन ओरण होने से आदेश सही पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा मौजा संवत् 2073 में मौजा आवलॉज के खसरा नम्बर 690 कुल रकबा 0.94 हेक्टर में से 0.06 हेक्टर पर अतिक्रमण कर कब्जा व बाथरूम बनाने से पटवारी हल्का आवलॉज की रिपोर्ट जिसको भू अभिलेख

निरीक्षक माण्डवला द्वारा जांच की गई है, पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर ने प्रकरण सं.745/2017 दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक20.3.2017 को निर्णय पारित बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है।भूमि की किस्म गैर मुमकिन ओरण यानि सरकारी भूमि होने से तहसीलदार जालोर द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली सं. 745/2017 के अवलोकन से गैरसायल अदालत मातहत में दिनांक 27.2.2017 को उपस्थित हुआ है,उसी दिन गैरसायल को साक्ष्य,सबूत पेश करने का अवसर दिया गया है तथा आगामी तारीख 20.3.2017 को दी गई। दिनांक तारीख 20.3.2017 को गैरसायल द्वारा अपने कब्जे की वैधता के सबंध में कोई साक्ष्य,सबूत पेश नही करने पर व भूमि की किस्म गैर मुमकिन ओरण होने से बेदखली व जुर्माना का निर्णय सही पारित किया गया है। जहां तक अपीलांट के पिता को 700 वर्गगज भूमि नियमन का सवाल है, उक्त नियमन खसरा नम्बर 222 में किया जाना प्रतीत होता है जो खसरा नम्बर 690 से लगता हुआ है यानि खसरा नम्बर 222 अलग खसरा है। गैर मुमकिन ओरण में तहसीलदार को नियमन का अधिकार नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वार तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 20.3.2017 (प्रकरण सं. 745/2017) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

Sd.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 20.3.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर